कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1595/11–सी– FP/UP/Road/157011/2022 लखनऊ, दिनांकः दिसम्बर 18 ,2024
सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to kotdwar pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0-000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 हे0 संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0– FP/UP/Road /157011/2022

संदर्भ– 1– उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–पी–277/81–2–2024–800(260)/2024, दिनांक 09.12.2024
2– इस कार्यालय का पत्रांक–1529/11सी, दिनांक 10.12.2024
3– उ0प्र0 शासन की पत्र सं0–2451/81–2–2024–800(260)/2024, दिनांक 17.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में अवगत कराया गया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 सपठित वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत 5 हे0 से अधिक परियोजना प्रस्तावों हेतु गठित प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) द्वारा परीक्षण किया जाता है, परन्तु प्रश्नगत परियोजना परिवेश पोर्टल 1.0 से सम्बन्धित है, जिसका पार्ट–1 पूर्व में ही मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पोर्टल से दिनांक 26.12.2022 द्वारा स्वीकृति किया जा चुका है, जिसमें प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) द्वारा परीक्षण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगंत प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) नियम 2022/वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्राविधान लागू होंगे अथवा नहीं ? के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन (संरक्षण) नियम 2022/वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 लागू होंगे।

अतः आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(बी0 प्रभाकर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1595/11–सी FP/UP/Road/157011/2022 दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग।
3– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, नजीबाबाद जिला बिजनौर।

(हस्ताक्षर)
(बी0 प्रभाकर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-2451/81-2-2024-800(260)/2024

प्रेषक,

देवेन्द्र सिह चौहान
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर 2024

विषय- जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar by pass of NH-119 connectiong Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the State of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 हे0 सरंक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के म्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022)

TC

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1529/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022 दिनांक 10.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि प्राप्त अभिलेखानुसार प्रश्नगत प्रस्ताव (प्रस्ताव ख्या-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022) के Submission की तारीख 20/06/2022 है। दिनांक 28/06/2022 ` वन (संरक्षण) नियम 2022 लागू हुआ और वर्तमान में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 लागू है, इनके अनुसार 5 हे0 से अधिक के परियोजना प्रस्तावों हेतु गठित प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) के परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु शा न को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि आपके पत्र दिनांक 10.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना परिवेश 1.0 से म्बन्धित है, जिसका पार्ट-1 पूर्व में ही मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पोर्टल से दिनांक 26.12.2022 द्वारा स्वीकृति किया जा चुका है, जि में प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) द्वारा परीक्षण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रस्ताव पर वन ( रक्षण) नियम 2022/वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्राविधान लागू होंगे अथवा नहीं ? के संबंध में स्थिति सपष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या सुसंगत अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे परियोजना प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

Signed by
Devendra Singh Chauhan
Date: 17-12-2024 12:05:07
(देवेन्द्र ि ह चौहान)
अनु चिव।